

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
 केंद्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, प.ऊ.कें.वि.-6, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
Central Office, Western Sector, AECS-6, Anushaktinagar, Mumbai – 400 094.

प.ऊ.कें.वि.-1, 2, 3, 4, 5, 6, कनिष्ठ महाविद्यालय और केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं., मुंबई के सभी कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के का.जा. सं.: 370142/13/2020-TPL दिनांकित 13.04.2020 के मामले में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर निर्धारण उद्देश्य हेतु निम्नलिखित विकल्प का चयन करना अपेक्षित है।

All employees in AEC School-1,2,3,4,5,6,JC and Central Office, AEES, Mumbai are required to exercise the following option for the purpose of Income Tax Assessment for the financial year 2022-23 in terms of the Ministry of Finance OM No:370142/13/2020-TPL dated 13/04/2020.

1. कर्मचारी का विवरण/PARTICULARS OF THE EMPLOYEE:

नाम/Name _____
 पदनाम/ Designation _____
 कार्यालय /Place of Work _____
 पैन/PAN _____
 क.प.सं./ EMPID NO. _____
 कंप्यूटर कोड संख्या/ C.C.NO. _____
 दूरभाष/मोबाइलसंख्या/ Telephone / Mobile No _____
 ई-मेल आईडी / E-mail ID. _____
 आवासीय पता/Residential Address _____
 आधार संख्या/ Aadhar No . _____

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर स्लैब/Income tax slabs for Financial Year 2022-23

विकल्प-ए (पुरानी कर व्यवस्था)/OPTION-A (Old Regime)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकल्प-ए का चयन करने वाले कर्मचारियों को आयकर घोषणा भरना अपेक्षित है।/

Employees opting option A are required to fill income tax declaration for the F.Y. 2022-23

| कर्मचारी जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है, के लिए/ For Employees having age of less than 60 years | वरिष्ठ नागरिकों के लिए (60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम आयु) / For Senior Citizens (beyond 60 years but less than 80 years) | आयकर की दर Rate of Income Tax |
|--|---|----------------------------------|
| रु. 2,50,000 तक/ Upto Rs.2,50,000 | रु. 3,00,000 तक/ Upto . रु.3,00,000 | शून्य / NIL |
| रु. 2,50,001 से रु. 5,00,000 तक/ | रु. 3,00,001 से रु. 5,00,000 तक/ | 5% |
| रु. 5,00,001 से रु. 10,00,000 तक | रु. 5,00,001 से रु. 10,00,000 तक/ | 20% |
| रु. 10,00,000 से अधिक /Above | रु. 10,00,000 से अधिक /Above | 30% |
| आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4% प्रभावी है। Health and Education Cess @ 4% is chargeable on income tax.. रु. 5 लाख तक की करयोग्य आय पर 100% आयकर के बराबर राशि या रु. 12500/- इनमें जो भी कम हो, तक की आयकर घटौती अनुमित है। For taxable income upto रु. 5 lakhs, income tax rebate of an amount equal to 100% of income tax or रु. 12500/- whichever is less is allowed. | | |

मैं पुराने स्लैब में बने रहने का चयन करता हूँ और वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके परिशोधन की मांग नहीं करूंगा।

I opt to stay in the old slab and will not ask for revision of the same in FY 2022-23.

हस्ताक्षर/Signature: _____ नाम/Name _____ पदनाम/Designation _____

विकल्प-बी (नयी कर व्यवस्था)/OPTION-B (New Regime)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकल्प-बी का चयन करने वाले कर्मचारियों को आयकर घोषणा फॉर्म भरना आवश्यक नहीं है।/

Employees opting option B need not fill income tax declaration form for the F.Y. 2022-23

| करयोग्य आय/Taxable Income | कर (दर)/Tax (Rate) |
|-----------------------------------|--------------------|
| तक /Up to रु. 2,50,000 | शून्य/NIL |
| रु. 2,50,001 to रु. 5,00,000 तक | 5% |
| रु. 5,00,001 to रु. 7,50,000 तक | 10% |
| रु. 7,50,001 to रु.10,00,000 तक | 15% |
| रु.10,00,001 to रु. 12,50,000 तक | 20% |
| रु. 12,50,001 to रु. 15,00,000 तक | 25% |
| Above / अधिक रु. 15,00,000 से | 30% |

आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4% प्रभावी है।/
 Health and Education Cess @ 4% is chargeable on income tax.

मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 से शुरू नये स्लैब में बने रहने का चयन करता हूँ और वि.व. 2022-23 में इसके परिशोधन की मांग नहीं करूंगा।

I opt to stay in the new slab introduced w.e.f F.Y. 2022-23 and I will not ask for revision of the same in FY 2022-23.

हस्ताक्षर/Signature: _____ नाम/Name _____ पदनाम/Designation _____

(यह प्रपत्र पुरानी कर व्यवस्था अर्थात विकल्प/ए का चयन करने वाले कर्मचारियों को दिया जाए-
This form is to be given to the employees selected the Old regime i.e. Option-A)

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
(परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय, भारत सरकार)
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
Central Office, Western Sector, AECS-6, Anushaktinagar, Mumbai – 400 094.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत वांछनीय कटौतियों/ छूट के दावों के संबंध में परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था कर्मचारियों द्वारा घोषणा

DECLARATION BY AEES EMPLOYEES REGARDING CLAIM OF ELIGIBLE DEDUCTIONS/EXEMPTION UNDER PROVISIONS OF THE I.TAX ACT 1961 DURING THE FINANCIAL YEAR 2022-23.

यह प्रपत्र विकल्प-बी का चयन करने वाले कर्मचारियों को नहीं भरना है/

THIS FORM NEED NOT TO BE FILLED BY THE EMPLOYEES WHO OPTED OPTION-B.

निर्देश/INSTRUCTIONS :

सभी कर्मचारियों द्वारा घोषणा दिनांक 10 अगस्त, 2022 तक संबंधित प्रधानाचार्य, प.ऊ.कें.वि./क.म.वि. और सहायक लेखा अधिकारी (वेतन) को जमा की जाए।

Declaration is to be submitted to Principal, AECS/JC & AAO (Salary) by all employees on or before 10/08/2022.

- 1) प्रत्येक कटौती/छूट दावे के समर्थन में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो कृपया समर्थक दस्तावेजों की फोटो प्रतिलिपियाँ संलग्न करें।
Please enclose photocopies of supporting documents wherever required in support of each claim of deduction/exemption.
- 2) कृपया किसी दावे जहाँ भुगतान यथासमय किया जाना प्रस्तावित है, के मामले में दिनांक 31.12.2022 तक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने का वचन दें। घोषणा जमा न किए जाने या अमान्य दावे के कारण कर देयता में किसी वृद्धि के लिए संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार होगा।
In case of any claim where payments are proposed to be made in due course, please give under taking for submission of documentary evidence on or before 31/12/2022. Any increase in Tax liability due to non-submission of declaration or invalid claim, responsibility lies with the employee concerned.
- 3) कृपया संलग्न शीट के अंत में सत्यापन, वचन और प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करें।
Please sign verification, undertaking and certificate at the end of the enclosed sheet.
- 4) एक बार घोषणा प्रपत्र जमा कर दिए जाने के बाद आगे अतिरिक्त प्रमाण जमा करते समय इसे द्वारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त वचन यदि कोई है, तो इसके दस्तावेज की फोटो प्रति पर कर्मचारी संख्या और कंप्यूटर कोड संख्या लिख कर जमा की जा सकती हैं।
DECLARATION FORM ONCE SUBMITTED, NEED NOT BE SUBMITTED AGAIN WITH SUBSEQUENT ADDITIONAL PROOFS. Any additional savings can be submitted by mentioning Employee No. and C.C. No. on the xerox copy of the document.

1. धारा 10 (13ए) के अंतर्गत मांगी गई मकान किराए भत्ता छूट के संबंध में ब्योरा :

(इस संबंध में करार और किराये की रसीदों के साथ अलग से दावा प्रस्तुत करें।)

PARTICULARS IN CASE HRA EXEMPTION SOUGHT UNDER SECTION 10 (13A) :

(A separate claim is to be submitted in this regard with copies of agreement, rent receipts and copy of PAN card of owner)

| भुगतान किया किराया Rent paid | प्रभावी होने की तारीख With effect from | मालिक का नाम और पता Name and address of the owner | मकान मालिक की पैन संख्या PAN No. of the owner |
|---------------------------------|---|--|--|
| रु. प्रति माह रु. per month | | | |

अध्याय VI-ए की अन्य धाराओं के तहत मांगी गई कटौती के संबंध में ब्योरा :

I. इक्विटी शेयरों में निवेश (80 सीसीजी के तहत) (आयकर विभाग द्वारा अधिसूचना के अधीन) : दस्तावेजी साक्ष्य अनुलग्न किया जाए। (अधिकतम रु. 25,000/- की निवेश राशि पर 50% छूट की अनुमति है।)

PARTICULARS IN CASE DEDUCTION SOUGHT UNDER OTHER SECTIONS OF CHAPTER VI-A:

I. Investment in Equity Shares (U/S 80CCG) (Subject to Notification by IT Deptt): Documentary evidence should be enclosed. (Rebate allowed is 50% of amount invested subject to maximum of रु. 25,000/-)

| संस्था का नाम Name of the institution | फोलियो/प्रमाणपत्र संख्या Folio / Certificate No. | भुगतान की तारीख Date of Payment | भुगतान की राशि (रु.) Amount paid (रु.) |
|--|---|------------------------------------|---|
| | | | |

II. चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान (धारा 80डी के तहत) : दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए।
(अधिकतम रु. 25,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रु. 50,000)
MEDICAL INSURANCE PREMIA PAID (U/S 80D) : Documentary evidence should be enclosed.
(Maximum Rs.25,000 and for Sr.CitizensRs.50,000)

| बीमा योजना का नाम Name of the Insurance Scheme | नाम, आयु और कर्मचारी के साथ व्यक्ति का संबंध/Name, Age and relation of the person with the employee | पॉलिसी संख्याPolicy Number | भुगतान की तिथिDate of Payment | भुगतान की राशि (रु.) Amount paid (रु.) |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | |

III. विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास पर व्यय (धारा 80डीडी के तहत) : आयकर नियमों में यथा परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति अनुलग्न की जाए।
(अधिकतम रुपये 75,000 और गंभीर विकलांगता के लिए रुपये 1,25,000)

EXPENDITURE INCURRED ON MEDICAL TREATMENT, TRAINING AND REHABILITATION OF A DEPENDENT BEING A PERSON WITH DISABILITY (U/S 80 DD): A copy of the certificate issued by the medical authority as defined in income tax Rules in the prescribed format should be enclosed.
(Maximum Rs.75,000 and for severe disabilityRs.1,25,000)

| अं.स्वा.से.यो. अभिलेखों के अनुसार आश्रितों के नामName of the dependent as per CHSS Records. | अं.स्वा.से.यो. संख्या एवं संबंध/रिश्ता /CHSS Number & Relationship | विकलांगता का प्रकार Nature of disability | वहन व्यय राशि (रु.) /Amount of expenditure incurred (रु.) | प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पताName & address of the certificate issuing authority. |
|---|--|--|---|---|
| | | | | |

IV. स्वयं और/ या आश्रित (पति/पत्नी एवं संतान) की उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज (धारा 80-ई के तहत) : यह कटौतीकर निर्धारिती द्वारा ऋण पर ब्याज का भुगतान शुरू करने के वर्ष से केवल 8 लगातार निर्धारण वर्षों के लिए स्वीकार्य है। वित्तीय संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त/ देय ब्याज का प्रमाणपत्र ऋण संस्वीकृत पत्र और किए जा रहे पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि के साथ अनुलग्न किया जाए।
INTEREST ON LOAN TAKEN FOR HIGHER EDUCATION OF SELF AND / OR DEPENDENT (SPOUSE & CHILDREN) (U/S 80-E): This deduction is allowable only for 8 successive Assessment years from the year in which the assessee starts paying interest on loan. A certificate of interest paid / payable issued by the financial institution alongwith loan sanction and photocopy of course attending should be enclosed.

| वित्तीय संस्थान का नाम Name of the Financial Institution | शिक्षण संस्थान का नाम /प्रवेश की तारीख Name of the Educational Institution/ Date of Admission | पाठ्यक्रम का नाम / पाठ्यक्रम की अवधि/ Name of the course /Duration of course | ऋण संस्वीकृति की तारीख /Date of sanction of loan | चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान की राशि (रु.) /Amount of interest paid during the current year (रु.) |
|--|---|--|--|--|
| | | | | |

V. विकलांग व्यक्ति के संबंध में कटौती (धारा 80यू के तहत) : आयकर नियमों में यथा परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति अनुलग्न की जाए।

(अधिकतम रुपये **75,000** और गंभीर विकलांगता के लिए रुपये **1,25,000**)

DEDUCTION IN THE CASE OF A PERSON WITH DISABILITY (U/S 80U) : A copy of the certificate issued by the medical authority as defined in Income tax rules in the prescribed format should be enclosed.

(Maximum ₹. 75,000 and for severe disability ₹. 1,25,000)

| विकलांगताका प्रकार Nature of Disability | विकलांगता का प्रतिशतता Extent (%) of disability | प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण /चिकित्सा प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पता Name, Designation and address of the certificate issuing authority/Medical Authority |
|--|--|---|
| | | |

VI. धारा 80-सीसीसीडी(1-बी) के तहत ₹. 50,000 की अतिरिक्त कटौती अनुमत है।

An additional deduction of ₹. 50,000 is allowed under Section 80-CCD(1-B)

| क्र.सं. Sr.No. | बचत का प्रकार Nature of Savings | रसीद/पावती संख्या Receipt/Ack.No | बैंक का नाम/ Name of the Bank | भुगतान की तिथि/ Date of payment | भुगतान राशि (₹.) Amount paid (₹.) | टिप्पणियां/ Remarks |
|-------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|
| | अधिसूचित पेंशन योजना निवेश (80 सीसीसीडी (1B)) /Notified Pension Scheme investments (80CCCD 1B) | | | | | |

3. वर्ष के दौरान किए गए निवेशों/बचतों के लिए अध्याय VI-ए की धारा 80-सी के तहत मांगी गई कटौती के संबंध में विवरणधारा 80 सीसीई के तहत कुल कटौती की सीमा ₹. 1,50,000/- है। दस्तावेजी साक्ष्य अनुलग्न किया जाए। पीएफ/एलआईसी/ समूह बीमा आदि के लिए वेतन बिलों के माध्यम से किए गए भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

PARTICULARS IN CASE OF DEDUCTION SOUGHT UNDER SECTION 80-C OF CHAPTER VI-A TOWARDS INVESTMENTS / SAVINGS MADE DURING THE YEAR. Aggregate deductions under section 80 CCE are allowed to the extent of ₹. 1,50,000/-. Documentary Proofs should be enclosed. **Details for payment made through salary bills for PF/LIC/GROUP INSURANCE etc. need not be furnished.**

| क्र.सं. Sr.No | बचत का प्रकार Nature of Savings | पॉलिसी संख्या रसीद/पावती संख्या Policy No. Receipt/Ack.No | डाक/बैंक/कंपनी का नाम/ Name of the Post/Bank/Company | भुगतान की तिथि/ Date of payment | भुगतान राशि (₹.) Amount paid (₹.) | अभ्युक्तियाँ Remarks |
|------------------|--|--|---|------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. | जीवन बीमा किस्त का भुगतान। (वार्षिक/छमाही/तिमाही/मासिक) Life Insurance Premium paid.(yearly/half yearly/quarterly/monthly) | | | | | |
| 2. | यूलिप/पीएलआई/ULIP / PLI | | | | | |
| 3. | सार्वजनिक भविष्य निधि/P.P.F | | | | | |
| 4. | प्रदत्त शिक्षण-शुल्क (दो बच्चों तक सीमित) / Tuition Fees paid (limited to two children) | | | | | |
| 5. | राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) /National Saving Certificate (NSC) | | | | | |
| 6. | म्यूचुअल फंड/ ईएलएसएस/ Mutual Fund / ELSS | | | | | |
| 7. | सावधि जमा (किसी अनुसूचित बैंक में न्यूनतम 5 साल की अवधि के लिए) /Fixed Deposit (for a minimum period of 5 years in a Scheduled Bank) | | | | | |
| 8. | मकान की खरीद पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क Stamp Duty/Registration Fees paid on purchase of House. | | | | | |
| 9. | अधिसूचित पेंशन योजना निवेश (80 सीसीसी) /Notified Pension Scheme investments (80CCC) | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 10. | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत आवास ऋण कटौती का ब्यौरा। (मकान संपत्ति का ब्यौरा संलग्न प्रारूप में भी भरें।) PARTICULARS of Housing Loan deduction u/s 80C of the Income Tax Act, 1961. (The PARTICULARS of House Property should also be filled in the format enclosed) | | | | | |
| क/अ | वित्तीय संस्थान का नाम: सरकारी बैंक आदि/ Name of the Financial institution : Government Bank etc. | | | | | |
| ख/ब | ऋण लेने की तारीख : Date when Loan taken | | | | | |
| ग/क | लिए गए ऋण की राशि/ Amount of Loan availed | | | | | |
| घ/द | जिस संपत्ति के लिए ऋण लिया गया, उसका पता।Address of the property for which loan availed. | | | | | |
| ङ/इ | मकान के पूर्ण होने/कब्जे की तिथि।/Date of Completion/ Possession of House. | | | | | |
| च/फ | ऋण का प्रयोजन: पहली खरीद/ पुनर्विक्री खरीद/निर्माण/नवीकरण / मरम्मत/ Purpose of Loan : First Purchase/Resale Purchase/Construction/Renovati on/Repairs | | | | | |
| छ/ग | वर्ष 2022-23 के दौरान चुकाए गए ऋण (मूल) की राशि/ Amount of Loan (Principal) Repaid during the year 2022-23. | | | | | |
| नोट Note | 1)दस्तावेजी प्रमाण अर्थात पूर्णता/दखल/कब्जा प्रमाणपत्र (यदि पहली बार दावा किया जा रहा है) संलग्न किया जाना चाहिए।पंजीकृत करार/ बिक्रीनामेकी भी एक प्रति प्रस्तुत करें। Documentary proof i.e. completion/occupation/possession certificate (if claiming for the First time) should be enclosed. A copy of the registered agreement/sale deed may also be submitted. 2) मकान संपत्ति लागत में मकान संपत्ति अधिगृहीत करते समय भुगतान किए गए स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य व्यय शामिल होंगे। Payments towards the cost of house property will include stamp duty, registration fee and other expenses while acquiring the home property. 3) यदि परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त नाम में मकान खरीदा गया है/ निर्माण किया है, तो आवश्यक घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाए। If the house purchased/constructed is in joint name with family members, necessary declaration should be submitted. | | | | | |

सत्यापन प्रमाणपत्र और वचनपत्र
VERIFICATION CERTIFICATE & UNDERTAKING

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त ब्यौरा मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है।

I certify that the above PARTICULARS furnished by me are true and correct to the best of my knowledge and belief.

2. मेरे द्वारा पेश किए गए उपरोक्त दावों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों/प्रमाणपत्रों की द्वायाप्रति दिनांक 31.12.2022 तक प्रस्तुत करने का मैं वचन देता/देती हूँ। मूल दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाणपत्र के अभाव में किसी दावे की अस्वीकृति की जिम्मेदारी मेरी होगी।

I undertake to produce photocopies of documentary evidences/certificates in respect of the above claims preferred by me on or before 31/12/2022. Onus of rejection of any claim for want of original documentary evidences/certificates lies with me.

3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि पॉलिसियों को प्रभावी रखने के लिए मैं बीमा किस्तों का भुगतान नियमित रूप से करता/करती रहूँगा/रहूँगी।

I certify that I shall continue to pay Insurance Premium regularly in order to keep the policies in force.

4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मकान संपत्ति जिसके लिए छूट का दावा किया जा रहा है, उसका दिनांक 31/03/2023 तक हस्तांतरण/निपटारण नहीं किया जाएगा।

I certify that the house property for which rebate is being claimed will not be transferred / disposed off till **31/03/2023**.

कर्मचारी पहचान संख्या/EMPID NO : _____

कंप्यूटर कोड संख्या/COMPUTER CODE NO: _____

कर्मचारी का नाम एवं पदनाम

Name & designation of the employee

हस्ताक्षर/ Signature _____

दिनांक / Date _____

प्रपत्र: 12-सी/ Form: 12-C
मकान संपत्ति से आय शीर्ष के तहत
घटौती के दावे हेतु घोषणा
Declaration for claiming rebate under the head
INCOME FROM HOUSE PROPERTY
(प्रत्येक मकान हेतु अलग-अलग प्रपत्र का प्रयोग करें।) (Use Separate sheet for each house)

1. Name of the Employee/नाम _____ Design _____
2. मकान संपत्ति का पता/Address of House Property _____

3. आवासीय स्थिति /Residential Status : स्वयं के प्रयोग में/Self Occupied _____ खाली/Un Occupied _____
किराए पर दिया हुआ/ Let Out _____
4. मकान संपत्ति से आय (हानि यदि कोई हो, सहित) का ब्यौरा /PARTICULARS of Income (including Loss, if any) from House Property
 - 4.1 धारा 23 के तहत संपत्ति का कुल वार्षिक मूल्य/ Gross Annual Value of the property u/s 23
राशि जिस पर संपत्ति यथोचित रूप से किराए पर दी गई है।/ Amount for which the property might reasonably be let out
(क/A) _____
अथवा वार्षिक नगरपालिका मूल्यांकन या वार्षिक किराया मूल्य/ OR Annual Municipal Valuation or Annual lettable value
अथवा प्राप्त वास्तविक किराया, जो भी अधिक हो/ OR Actual Rent Received, whichever is higher
 - 4.2 घटाएँ: वर्ष 2022-23 में मकान मालिक द्वारा नगरपालिका करों की वास्तविक भुगतान राशि
(स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
Less: Municipal Taxes actually paid by the owner
in the year 2022-23 (self-attested photo copy
Should be enclosed) (ख/B) _____
 - 4.3 संपत्ति का निवल वार्षिक मूल्य/Net Annual Value of the property (ग/C) _____
 - 4.4 स्वीकार्य कटौतियाँ/ Deductions Admissible
 - a) मरम्मत और समाहरण प्रभार के लिए निवल वार्षिक मूल्य का 30% (सी) /
30% of Net Annual Value (C)
For Repairs and Collection charges. (क/a) _____
 - b) उक्त मकान संपत्ति को अर्जित करने के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रदत्त/देय ब्याज।
(समर्थक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।)
Interest paid/payable on the borrowed capital (ख/b) _____
for acquiring said house property (self attested copies of
Supporting documents should be attached) (क/a+ख/b) (घ/D) _____
 - 4.5 निवल प्रभार्य आय: मकान संपत्ति से आय शीर्ष के तहत (ग-घ) /
Net Chargeable Income: (C-D) under the head Income
from house property (ङ/E) _____

प्रमाणपत्र एवं सत्यापन/CERTIFICATE AND VERIFICATION

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मकान संपत्ति जिसके लिए छूट का दावा किया जा रहा है, उसका दिनांक 31/03/2022 तक हस्तांतरण/निपटारण नहीं किया जाएगा।
I CERTIFY THAT THE HOUSE PROPERTY FOR WHICH REBATE IS BEING CLAIMED WILL NOT BE TRANSFERRED / DISPOSED OFF TILL 31.03.2022.
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त ब्यौरा मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है।
I CERTIFY THAT THE ABOVE PARTICULARS FURNISHED BY ME ARE TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF.

हस्ताक्षर और तारीख : SIGNATURE WITH DATE : _____

कर्मचारी का नाम/NAME OF THE EMPLOYEE : _____

कर्मचारी पहचान संख्या/EMPID NO : _____ कंप्यूटर कोड संख्या/COMPUTER CODE NO. _____

टिप्पणियाँ/Notes :

- 1) उपरोक्त खंड 4.4 (ख) में पूर्व (लेखा) वर्ष जिसमें संपत्ति अर्जित या निर्मित की गई है, से पूर्व अवधि के लिए उधार ली गई पूंजी (यदि कोई) पर पूर्व- निर्माण/ पूर्व- ईएमआई ब्याज शामिल है। ये ब्याज धारा 24 के तहत उस वित्तीय वर्ष जिसमें मकान अर्जित या निर्मित किया गया है से शुरू होकर पाँच बराबर किश्तों में काटी जाएगी।

Term 4.4(b) above includes Pre – construction / Pre-EMI Interest on borrowed capital (if any) for the period prior to the previous (accounting) year in which the property has been acquired or constructed. Such interest shall be deducted u/s 24 in five equal installments commencing from the financial year in which the house is acquired or constructed.

- 2) यदि मकान संपत्ति में कई तल हैं तो इसे कई निवास यूनिटों के रूप में माना जाएगा।

If a house property consists of many floors, it will be treated as having as many dwelling units.

- 3) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज उधार देने वाले संस्थान से प्राप्त विधिवत् हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों से समर्थित होनी चाहिए, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए।

Interest on borrowed capital should be supported with duly signed certificates obtained from the lending institution, Provisional certificate should be duly signed by issuing authority.

- 4) जहाँ संपत्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में है और उनके संबंधित शेयर स्पष्ट और सुनिश्चित हैं तो मकान संपत्ति से आय में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का शेयर उनकी संबंधित आय में शामिल किया जाए।

Where property is owned by two or more persons and their respective shares are definite and ascertainable then the share of each such person in the income from house property should be included in their respective income.

- 5) जैसा कि मकान संपत्ति से आय का निर्धारण संबंधित कर्मचारी/कर निर्धारिती से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाता है, अतः इसकी शुद्धता/ सत्यता के लिए कर्मचारी/कर निर्धारिती पूर्णतया जिम्मेदार है।

The employee / assessee is wholly responsible for its correctness, as far as income from House Property determined on the basis of information furnished by him/her is concerned.